न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/122/2018	27—06—2018	24—10—2018

01— सुवालाल पुत्र रामदेवा जाति मीणा निवासी ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01— नायब तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ दिनांक 12..02.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 23/2018

उपस्थितः—

01—श्री के के मीणा —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 12.02.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मुण्डपुरी की सरकारी बंजड प्रथम भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 1.43 है० के 0.50 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम ग्राम मुण्डपुरी की सरकारी बंजड प्रथम भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 1.43 है० के 0.50 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 12.02.2018 के विरूद्व दिनांक 27.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 27.06.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। रिपोर्ट नायब तहसीलदार रामगढ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 09.07.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है एवं नायब तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है की यदि उक्त अपीलान्ट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है, तो उसके विरूद्व एल आर एक्ट के तहत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24—10—2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)